

## मध्यप्रदेश शासन

### वन विभाग

वल्लभ भवन, भोपाल- 462004

क्रमांक—एफ 25—17 / 2011 / 10—3  
प्रति,

भोपाल, दिनांक: 6- फरवरी, 2014

1. समस्त वन परिक्षेत्र अधिकारी, सामान्य / वन्यप्राणी परिक्षेत्र (पदाभिहित अधिकारी)
2. समस्त वन मण्डलाधिकारी, सामान्य / उप संचालक / सहायक संचालक, राष्ट्रीय उद्यान (प्रथम अपीलीय अधिकारी)
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन वृत्त / क्षेत्र संचालक / संचालक, राष्ट्रीय उद्यान (द्वितीय अपीलीय अधिकारी)

**दिष्य:** सेवा क्रमांक 10.1— वन्यप्राणियों से जन—हानि हेतु राहत राशि का भुगतान के संबंध में निर्देश।

**संदर्भ:** म.प्र. शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 308—05—01 / 2010 दिनांक 24.09.2011

—:0:—

1. **सेवा का उद्देश्य:**— इस सेवा का उद्देश्य वन्यप्राणियों द्वारा जनहानि किये जाने पर मृत व्यक्ति के परिवार को राहत राशि उपलब्ध कराना है। वन्यप्राणियों द्वारा जनहानि के मामले में सामान्यतः वन विभाग द्वारा स्वप्रेरणा से कार्यवाही प्रारंभ कर योजना का लाभ मृतक के उत्तराधिकारी को दिलाया जाना चाहिए, परंतु यदि किसी कारणवश स्वप्रेरणा से कार्यवाही नहीं होती तो मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारी इस सेवा के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।
2. **पदाभिहित अधिकारी एवं समय—सीमा:**— इस सेवा के लिये वन परिक्षेत्राधिकारी अपने—अपने क्षेत्र में पदाभिहित अधिकारी होंगे। जिसके लिये समय—सीमा आवेदन दिनांक से 3 कार्य दिवस निर्धारित की गई है।
3. **आवेदन पत्र का प्रारूप:**— इस सेवा के लिये आवेदन का प्रारूप परिशिष्ट—1 पर संलग्न है। आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में, सादे कागज पर भी आवेदन दिया जा सकता है।
4. **पात्रता की शर्तें** —राहत राशि के भुगतान के लिए आवश्यक पात्रता की शर्तें निम्नानुसार हैं:—

- (i.) जन—हानि (मृत्यु) वन्यप्राणी (सांप, गुहेरा एवं जहरीले जन्तु को छोड़कर) द्वारा हुई हो।
  - (ii.) आवेदनकर्ता मृत व्यक्ति का उत्तराधिकारी/परिवार का सदस्य/रिश्तेदार हो।  
(नोट — यहां वन्य प्राणी से तात्पर्य वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में दी गई परिभाषा से है)
5. **आवश्यक दस्तावेज —**
- (i.) एफ.आई.आर. / पुलिस रिपोर्ट की प्रति

- (ii.) मृत्यु के संबंध में प्रमाण पत्र (चिकित्सक/ सरपंच/ पंचायत सचिव/ स्थानीय निकाय का प्रमाण पत्र/ पंचनामा)।
- (iii.) पोस्ट मार्ट्स रिपोर्ट (यदि उपलब्ध हो)।
- (iv.) उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र। (सरपंच/ पंचायत सचिव/ स्थानीय निकाय का प्रमाण पत्र)।

## 6. पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी—

- 6.1 सेवा प्राप्त करने के लिये कंडिका 3 में बताये अनुसार संलग्न प्रारूप एवं कंडिका-5 में दर्शाये अनुसार आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन पदाभिहित अधिकारी (वन परिषेत्राधिकारी) के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।
- 6.2 आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदन प्रस्तुति की अग्रिमीकृति लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 5 (1) के अंतर्गत “परिशिष्ट 2” में दी जावेगी।
- 6.3 पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में पावती में निराकरण की समय-सीमा का उल्लेख किया जावेगा और यदि आवेदन अपूर्ण हैं तो समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया जायेगा परंतु जो आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हैं उनका उल्लेख अभिस्वीकृति में किया जावेगा।
- 6.4 आवेदन लेते समय आवेदक का मोबाइल नम्बर का उल्लेख भी यथासंभव कराया जावेताकि आवश्यकतानुसार एसएमएस अलर्ट किया जा सके।
- 6.5 आवेदन का पंजीयन लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली, प्रतिकर का भुगतान) नियम, 2010 के नियम-16 में निर्धारित पंजी (संलग्न “परिशिष्ट-3”) में किया जायेगा। एक ही आवेदन का पृथक-पृथक पंजियों में इन्द्राज आवश्यक नहीं होगा।
- 6.6 संबंधित पदाभिहित अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर यथाशीघ्र परंतु निर्धारित समय-सीमा में आवेदन का निराकरण किया जावेगा तथा आवेदक को सेवा प्रदाय की सूचना परिशिष्ट-4 में दी जावेगी।
- 6.7 आवेदन पत्र अस्वीकृत करने की स्थिति में भी आवेदक को मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा – 5(2) के अंतर्गत कारण अभिलिखित करते हुये, सूचना परिशिष्ट-5 में दी जावेगी।

## 7. लोक सेवा केन्द्र में आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी—

- 7.1 साफ्टवेयर पर ऑनलाईन आवेदन दर्ज किया जाएगा एवं साफ्टवेयर में कंडिका-5 में बताये अनुसार आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन कर आवेदन के साथ अपलोड किया जाएगा। दस्तावेज अपलोड करने के पूर्व उस लोक सेवा केन्द्र के ऑपरेटर द्वारा दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर किया जायेगा।
- 7.2 आवेदन प्राप्त करते समय आवेदक का मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी आवेदक के पास होने की स्थिति में आवश्यक रूप से लिया जावे।
- 7.3 ऑनलाईन आवेदन का प्रिन्टआउट निकालकर प्रिन्टआउट पर आवेदक के हस्ताक्षर लिए जाएंगे एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत उसके साथ संलग्न होने वाले निर्धारित दस्तावेजों को संलग्न किया जाएगा। इस तरह प्राप्त यह हार्डकॉफी

**पदाभिहित अधिकारी द्वारा माह के प्रथम सोमवार (अवकाश होने पर अगला कार्य दिवस) को विशेष वाहक के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।**

- 7.4 ऑनलाईन आवेदन जमा होने के साथ ही साफ्टवेयर से आवेदन की पावती तैयार होगी। पूर्ण आवेदन जमा होने की स्थिति में पावती में निराकरण की समय-सीमा साफ्टवेयर द्वारा अंकित होगी। अपूर्ण आवेदन की स्थिति में छूट गये दस्तावेजों का उल्लेख होगा। आवेदन जमा होने के बाद पावती पर ऑपरेटर द्वारा हस्ताक्षर कर आवेदक को दी जायेगी।
- 7.5 लोक सेवा केन्द्र पर आवेदन की ऑनलाईन पावती जमा होते ही आवेदन संबंधित पदाभिहित अधिकारी के एकाउन्ट में ऑनलाईन उपलब्ध हो जाएगा।
- 7.6 पदाभिहित अधिकारी ऑनलाईन आवेदन के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर यथाशीघ्र परन्तु समय सीमा में आवेदन का निराकरण करेगा।
- 7.7 सेवा प्रदाय की सूचना आवेदक को संलग्न परिशिष्ट-4 में दी जाएगी, जो कि लोक सेवा केन्द्र द्वारा सॉफ्टवेयर से निकाले गये प्रिंट आउट के माध्यम से प्रदान की जावेगी।
- 7.8 यदि कतिपय कारणों से जन-हानि हेतु राहत राशि का भुगतान दिया जाना संभव नहीं है तो ऐसे आवेदन पत्र को स्पष्ट कारण दर्शाते हुए निरस्त करने का आदेश डिजिटल हस्ताक्षर के द्वारा पदाभिहित अधिकारी द्वारा संलग्नित परिशिष्ट -5 में पारित किया जावेगा, इस तरह जारी होने वाली समस्त सूचनाओं की एक डिजीटल रिपोजिटरी, वेबसाइट ([www.mpedistrict.gov.in](http://www.mpedistrict.gov.in)) पर संधारित की जायेगी। यह कार्यवाही निर्धारित अधिकतम समय-सीमा 3 कार्य दिवस के अंदर ही संपादित की जाएगी।
- 7.9 लोक सेवा केन्द्र ऑपरेटर द्वारा सेवा प्रदाय अथवा प्रदाय न करने की सूचना संबंधी पत्र डिजीटली साईन रिपोजिटरी ([www.mpedistrict.gov.in](http://www.mpedistrict.gov.in)) से प्रिंटआउट निकालकर दिया जायेगा एवं प्रमाण-पत्र पर नीचे लिखा सत्यापन प्रमाण-पत्र हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अंकित किया जावेगा—

**“प्रमाणित किया जाता है कि इस पत्र का प्रिंटआउट वेबसाइट ([www.mpedistrict.gov.in](http://www.mpedistrict.gov.in)) से मेरे द्वारा निकाला गया है।”**

**हस्ताक्षर  
लोक सेवा केन्द्र  
संचालक**

## **8. आवेदन निराकरण करने की प्रक्रिया—**

- 8.1 आवेदक द्वारा अपना आवेदन पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में सीधे अथवा लोक सेवा केन्द्र में प्रस्तुत किया जा सकेगा।
- 8.2 पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन कंडिका-6 अनुसार एवं लोक सेवा केन्द्र में कंडिका-7 अनुसार प्रस्तुत किये जायेंगे।
- 8.3 वन्यप्राणियों द्वारा जन-हानि का आवेदन प्राप्त होने पर अथवा इस संबंध में सूचना प्राप्त होने पर संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा स्वयं घटना स्थल का निरीक्षण कर प्रकरण में जांच की जायेगी एवं पंचनामा इत्यादि तैयार किया जाकर वन्यप्राणी से जनहानि की पुष्टि होने पर तात्कालिक सहायता के रूप में मृत व्यक्ति के परिवार/उत्तराधिकारी को रु. 5,000 की राशि उपलब्ध कराई जावेगी।
- 8.4 कंडिका 8.3 में उल्लेखित तात्कालिक सहायता प्रदान करने के साथ ही पदाभिहित अधिकारी (वन परिक्षेत्र अधिकारी) द्वारा सम्यक जांच उपरांत सही पाये जाने पर राहत

- राशि रु. 1.50 लाख (रूपये एक लाख पचास हजार) (अथवा शासन द्वारा समय—समय पर पुनर्रक्षित राशि) का भुगतान तात्कालिक सहायता के रूप में दी गई राशि को घटाकर किया जायेगा। वन्यप्राणी के हमले से हुई मृत्यु के पूर्व यदि मृत व्यक्ति के इलाज पर व्यय हुआ है तो उस वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति भी पृथक से की जायेगी।
- 8.5 कंडिका 8.3 एवं 8.4 में वर्णित सम्पूर्ण कार्यवाही यथाशीघ्र परन्तु समय सीमा (3 कार्य दिवस) में की जायेगी।
- 8.6 उपरोक्तानुसार कार्यवाही के क्रम में राहत राशि की स्वीकृति का आदेश संबंधित वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।
- 8.7 आवेदक को प्राप्त होने वाली राहत राशि आवेदन पत्र में अंकित बैंक खाते में ई-पेमेंट /डी.डी./चैक के माध्यम से जमा करा दी जायेगी।
9. शुल्कः— इस सेवा को प्राप्त करने के लिए कोई प्रशासनिक शुल्क देय नहीं है। लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने पर लोक सेवा केन्द्र के लिये निर्धारित आवेदन शुल्क केवल रु. 30/- जमा करना होगा।
10. सेवा प्रदाय के संबंध में स्पष्टीकरण — सांप गुहेरा एवं जहरीले जंतु से जनहनि के प्रकरणों में राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
11. आदेश /निर्देशों का निरसन /अधिकमण— मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा जन-हनि के संबंध में जारी परिपत्र क्र.-एफ 25-17 / 2011 / 10-3 दिनांक 21.12.11 को इस परिपत्र के जारी होने के दिनांक से निरस्त माना जाये।
12. अपील— आवेदक निम्नांकित स्थितियों में अपील कर सकेंगा—
1. आवेदन पत्र अमान्य किये जाने पर।  
अथवा
  2. आवेदन का निराकरण समय—सीमा में न होने पर।
- अपील निम्नानुसार की जा सकेगी—
1. प्रथम अपील — प्रथम अपील वनमण्डलाधिकारी /संरक्षित क्षेत्र के उप संचालक /सहायक संचालक को आवेदन नामंजूर होने की तारीख से अथवा निश्चित समय सीमा के अवसान होने से 30 दिन के भीतर की जा सकेगी। अपील अधिकारी 15 कार्य दिवस में अपील का निराकरण करेंगे।
  2. द्वितीय अपील — प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील ऐसे विनिश्चय की तारीख से 60 दिन के भीतर द्वितीय अपील अधिकारी — वनसंरक्षक /संरक्षित क्षेत्र के संचालक को प्रस्तुत की जाएगी।
- संलग्न:—उपरोक्तानुसार परिशिष्ट 5

(प्रशांत कुमार)  
सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग  
भोपाल, दिनांक: 6 फरवरी, 2014

पृ.क्र.एफ 25-17 / 2011 / 10-3

प्रतिलिपि:—

1. मुख्यमंत्री के सचिव, मंत्रालय, भोपाल।
2. मुख्य सचिव के सचिव, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भोपाल।
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, भोपाल।
7. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
8. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।

सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

**मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010**  
 (सेवा क्रमांक 10.1)

**वन्यप्राणियों से जन-हानि हेतु राहत राशि के भुगतान हेतु आवेदन का  
प्रारूप**

(यह आवेदन पत्र संबंधित पदाभिहित अधिकारी (परिक्षेत्र अधिकारी/ प्राधिकृत  
 कर्मचारी को) प्रस्तुत किया जाये)

1. मृतक का नाम एवं पता	—	.....
2. मृतक के माता/पिता का नाम	—	.....
3. मृतक की उम्र	—	.....
4. मृतक के उत्तराधिकारी का नाम एवं संबंध	—	.....
5. घटना स्थल	—	.....
6. घटना दिनांक एवं समय	—	.....
7. ग्राम का नाम	—	.....
8. पंचायत का नाम	—	.....
9. वन परिक्षेत्र/वनमण्डल का नाम	—	.....
10. जिला	—	.....
11. वन्यप्राणी जिसके द्वारा व्यक्ति को मारा गया	—	.....
12. आवेदन देने का दिनांक एवं समय	—	.....
13. आवेदक का पूरा पता	—	.....
14. आवेदक का मोबाईल फोन नं. - (यदि कोई हो तो)	—	.....
15. उत्तराधिकारी का बैंक खाता नम्बर, बैंक का नाम एवं आई.एफ.एस.सी. कोड न.	—	.....

**संलग्नक —**

- (i.) एफ.आई.आर. / पुलिस रिपोर्ट की प्रति
- (ii.) मृत्यु के संबंध में प्रमाण पत्र (चिकित्सक/ सरपंच/ पंचायत सचिव/ स्थानीय निकाय का प्रमाण पत्र/ पंचनामा)।
- (iii.) पोस्ट मार्टम रिपोर्ट (यदि उपलब्ध हो)।
- (iv.) उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र। (सरपंच/ पंचायत सचिव/ स्थानीय निकाय का प्रमाण पत्र)।

**मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010**  
 (सेवा क्रमांक 10.1—वन्य प्राणियों से जनहानि हेतु राहत राशि का भुगतान)

**धारा 5 (1) के अंतर्गत अभिस्वीकृति का प्रारूप**

1. पदाधिकारी के कार्यालय का — \_\_\_\_\_  
 नाम एवं पता \_\_\_\_\_  
 (मोबाईल नं./ई-मेल आईडी.) \_\_\_\_\_
2. आवेदक का नाम एवं पता — \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_
3. पदाधिकारी के कार्यालय — \_\_\_\_\_  
 में आवेदन प्राप्ति का दिनांक \_\_\_\_\_
4. उन दस्तावेजों पर सही (✓) का निशान लगायें जो सेवा प्राप्त करने के लिये आवश्यक हैं किन्तु आवेदन के साथ संलग्न नहीं किये गये हैं
  1. एफ.आई.आर./ पुलिस रिपोर्ट की प्रति
  2. मृत्यु के संबंध में प्रमाण पत्र (चिकित्सक/ सरपंच/ पंचायत सचिव/ स्थानीय निकाय का प्रमाण पत्र/ पंचनामा)।
  3. उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र। (सरपंच/ पंचायत सचिव/ स्थानीय निकाय का प्रमाण पत्र)।
5. सेवा प्रदाय हेतु निश्चित की गई — \_\_\_\_\_  
 समय—सीमा की आखिरी तारीख \_\_\_\_\_

स्थान .....  
 दिनांक .....

**प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर  
 नाम एवं पदनाम (मुद्रा सहित)**

**नोट:-** आवेदन के साथ वांछित समस्त दस्तावेज प्राप्त न होने की स्थिति में इस अभिस्वीकृति के बिन्दु-5 में समय—सीमा की आखिरी तारीख दर्ज नहीं की जायेगी।

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010  
 (सेवा क्रमांक 10.1—वन्य प्राणियों से जनहानि हेतु राहत राशि का भुगतान)

नियम 16 के अंतर्गत पदाधिकारी के कार्यालय में संधारित की जाने  
वाली  
पंजी का प्रारूप

पदाधिकारी के कार्यालय का नाम .....

माह ..... वर्ष .....

क्रमांक	आवेदक का नाम एवं पता	सेवा जिसके लिये आवेदन दिया गया है	निश्चित की गई समय—सीमा की आखिरी तारीख	आवेदन स्वीकृत/निरस्त	पारित आदेश का क्रमांक, दिनांक एवं विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

**मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010**  
 (सेवा क्रमांक 10.1—वन्य प्राणियों से जनहानि हेतु राहत राशि का भुगतान)

**सेवा प्रदाय की सूचना का प्रारूप**

कार्यालय परिक्षेत्र अधिकारी, ..... परिक्षेत्र .....

..... म.प्र.

क्रमांक / ..... दिनांक : .....

प्रति,

.....  
.....  
.....

**विषय :-** वन्य प्राणियों से जन-हानि हेतु राहत राशि का भुगतान।

**संदर्भ :-** आपका आवेदन पत्र दिनांक .....।

वन्यप्राणी से स्व. श्री/ श्रीमती/ कुमारी/ ..... की जन-हानि के प्रकरण में राहत राशि के भुगतान हेतु आपसे प्राप्त संदर्भित आवेदन पत्र के निराकरण उपरांत, राहत राशि के रूप में रूपए ..... का धनादेश/ डी.डी. क्रमांक/ ....., दिनांक ..... संलग्न प्रेषित है/ राशि रु. ..... आपके बैंक खाता नम्बर ..... में ई-पेमेंट द्वारा जमा करा दी गई है।

( )

नाम

पदाभिहित अधिकारी

एवं

परिक्षेत्र अधिकारी

परिक्षेत्र

वनमंडल.....

जिला.....

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010

(सेवा क्रमांक 10.1—वन्य प्राणियों से जनहानि हेतु राहत राशि का भुगतान)

आवेदन नामंजूर होने की स्थिति में आवेदक को दी जाने वाली सूचना का प्रारूप  
(धारा 5(2) के अंतर्गत)

कार्यालय परिक्षेत्र अधिकारी, ..... परिक्षेत्र ..... म.प्र.

क्रमांक / ..... दिनांक : .....

प्रति,

.....  
 .....  
 .....

विषय :— वन्य प्राणियों से जन—हानि हेतु राहत राशि का भुगतान।

संदर्भ :— आपका आवेदन पत्र दिनांक .....

1. वन्य प्राणियों से जन—हानि हेतु राहत राशि के भुगतान संबंधी आपसे प्राप्त संदर्भित आवेदन पत्र विचारोपरांत, निम्नलिखित कारणों से नामंजूर किया गया है :—

(i.) .....

(ii.) .....

(iii.) .....

2. यदि आप इस निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, तो श्री .....

पद ..... प्रथम अपील अधिकारी .....

(दूरभाष क्रमांक: .....), के समक्ष इस आदेश के दिनांक से 30 दिवस के अंदर अपील कर सकते हैं।

( )

नाम

पदाधिकारी

एवं

परिक्षेत्र अधिकारी

परिक्षेत्र

वनमंडल

जिला.....